

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/6232

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 21.07.25
अप्रार्थीगण

1 हरलाल पुत्र
भोमाराम जाति जाट
निवासी मुलाणी नांद
तहसील बाड़मेर जिला
बाड़मेर।

1 जैसाराम पुत्र गेनाराम 2 जेताराम
पुत्र इशाराराम 3 भीयाराम पुत्र
पदमाराम 5 रेखाराम 5 तगाराम
पिसरान लालाराम जाति जाट निवासी
मुलाणी नांद तहसील बाड़मेर जिला
बाड़मेर 6 हेमाराम पुत्र बुधाराम जाति
जाट निवासी चौखोणिसयो की ढाणी
नांद तहसील व जिला बाड़मेर 7 नूरा
पुत्र मुसलमान निवासी विशाला
तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 627/2024

दिनांक- 10/07/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुलाणी पटवार क्षेत्र नांद तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या क्रमशः 728/392, 742/407 रकबा क्रमशः 1.3840, 6.4750 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 21.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/6233-36

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी नांद तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हरलाल पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी मुलाणी नांद तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण जैसाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी मुलाणी नांद तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर